बिहार सरकार
कृषि विभाग
सकारण आदेश

संचिका संख्या–2 (गो०)सी० (कोर्ट)–12/18– कृ०/पटना, दिनांक 2018

श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धन अर्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, थाना कांड संख्या–03/17 दिनांक–17.08.2017 धारा–13(2) सह–पठित 13 (1) (e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 दर्ज किये जाने के पश्चात मामले की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश संख्या–2 (गो0) सी0–2–123/17–960 दिनांक 25.09.2017 द्वारा श्री रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या–2 (गो0)सी0–2–123/17–961 दिनांक 25.09.2017 द्वारा श्री रजक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है।

श्री रजक द्वारा निलंबन मुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 8250/2018 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 8250/2018 में दिनांक 04.05.2018 को निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः–

"... Accordingly, it is directed that the petitioner may file a representation before the respondent no. 2 within a period of two weeks from today and the respondent no. 2 shall dispose of the same by a reasoned and speaking order within a period of four weeks thereafter, failing which, the concerned authority shall be visited with penal consequences. The concerned authority shall also consider the judgments of this Hon'ble Court passed in CWJC no. 15238 of 2017, CWJC no. 10955 of 2016 and CWJC no. 15647 of 2014."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में श्री रजक द्वारा निलंबनमुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया एवं तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन हेतु उनके द्वारा MJC No. 2476/2018 भी दायर किया गया है।

इस संबंध में निदेशानुसार विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नानुसार प्राप्त हुआ–

"... The direction of the Hon'ble Court in CWJC No. 8250 of 2018 is limited to the disposal of the representation of the writ petitioner considering the judgments passed in CWJC No. 15238 of 2017, CWJC No. 10955 of 2016 and CWJC No. 15647 of 2014.

It would be relevant to indicate here that the order of suspension relating to the writ petitioner of CWJC No. 15238 of 2017, CWJC No. 10955 of 2016 and CWJC No. 15647 of 2014 have already been revoked by the competent disciplinary authority, considering their respective representations in the light of the judgments/orders of the Hon'ble Court.

I have examined the said ordres/judgements of this Hon'ble Court passed in the cases of three petitioners referred above, as also the respective orders of revocaion of their suspension which appears to have been passed under different background i.e. 'Trap Cases' being registered against them and their continuance of suspension for prolonged period. Writ petitioner of CWJC No. 10955 of 2016 had continued under suspension for more than five (5) years as indicated itself in the said order... Petitioner of CWJC No. 15238 of 2017 had also continued under suspension for more than $4^{1/2}$ years as transpired from the order of revocation of his suspension... The petitioner of CWJC No. 15467 of 2014 had continued under suspension around three (3) years as transpired from the Notification regarding revocation of his suspension... Therefore, the case of petitioner herein is not identical to the cases of those three writ petitioners as explained above.

Here, there is no such prolonged continuance of suspension, pending disciplinary proceedings and criminal case, as the petitioner is under suspension since 25.09.2017.

There is another distinction also, the petitioner herein has been placed under suspension pending disciplinary proceeding and a criminal case i. e. Special Vigilance Unit Case No. 3/17 relating to the charge of having in possession of disproportionate assets to his known source of income, under such circumstances, there would a rebuttable presumption against the petitioner, having been guilty of 'grave misconduct' in discharge of his official duty. Therefore, in the disciplinary proceedings even, the onus lies upon the petitioner himself to make rebuttal of such presumption as under Rule 19 (6) of Bihar Government Servant's conduct Rules, 1976. In view of the facts & circumstances discussed above, especially looking into nature of the charges and the period of suspension of the petitioner, I am in agreement

with the conclusion of the proposed order of the principal Secretary, Deptt. of Agriculture, Govt. of Bihar...

Therefore, in my opinion, the competent Authority may not be obliged to revoke the order of suspension issued against Vaidyanath Rajak (Writ petitioner) contained in Memo No. 960 dated 25-09-2017 in light of the order dated 04.05.2018 passed in CWJC No. 8250/2018, considering the Judgments referred therein."

विद्वान महाधिवक्ता के उक्त परामर्श के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री रजक को निलंबन से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

तदालोक में श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का निलंबन यथावत रहेगा।

ह०/–

(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि– अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि– श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि– पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सारण/भागलपुर/संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपिः– श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना/श्री अरूण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना– सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/विशेष सचिव/कृषि निदेशक /उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–01 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक 797 /कृ0, पटना, दिनांक 30-11-2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.11.2018

सरकार के प्रधान सचिव

29.11.18